कल्याण नगर, मेरठ
ई-मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नम्बर 0121-270391
फैक्स नम्बर 0121-270391

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/ 12599-603 /2018-19 दिनांक:- 24/12

प्रबन्धक
एस0 जी0 वर्ल्ड स्कूल
ग्राम जुल्हैड़ा बिनौली रोड
सरधना, मेरठ।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोज
लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के
(4) केअधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/नि प्रतिनिर्देश एस0 जी0 वर्ल्ड स्कूल ग्राम जुल्हैड़ा बिनौली रोड सरधना, मेरठ। को शैक्षिक सत्र 20 शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंग्रे की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 ट मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिगय 2009 (उपाबंध 1) औ और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिगं प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित करेगा:-

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाए

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की की जायेगी।

V. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथि अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

Manager
S.G. World School
Vill. Julhera, Sardhana
(Meerut)

Manager Principal
S G World School
Julehra Sardhana Meerut

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :–
- कुल निर्मित क्षेत्र :–
- क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल :–
- कक्षाओं की संख्या :–10
- प्राच्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागारकेलिए कक्ष :–है
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :–है
- पेयजल सुविधा :–है
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई :– है
- बाधारहित पहुंच :–है
- अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता :– है

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर– मान्यता प्राप्त कक्षायें चलायी जायेंगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 – (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया ज है।

स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लि चलाया जायेगा।

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उस प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहि

Manager.
S.G. World School
Vill. Julhera, Sardhana
(Meerut)

Manager Principal
S G World School
Julehra, Sardhana, Meerut

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक / प्रबन्ध / 11200-03 / 2021—22 दिनांकः— 07/03/2022

(कार्यालय—आदेश)

कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 12599—603 / 2018—19 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा एस0जी0 वर्ल्ड स्कूल ग्राम जुल्हैडा विनौली रोड, सरधना मेरठ को नर्सरी से कक्षा—08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र—2019—20 से शैक्षिक सत्र 2021—22 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 04.03.2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—418 / 79—6—2013—8 एस (7) / 89 शिक्षा अनुभाग—6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 12599—603 / 2018—19 दिनांक 24.12.2018 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0 / प्रबन्ध / 11200-03 / 2021—22 दिनांकः—

<u>प्रतिलिपिः—निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, एस0जी0 वर्ल्ड स्कूल ग्राम जुल्हैडा विनौली रोड, सरधना मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

Manager Principal
S G World School
Julehra, Sardhana, Meerut